Research Paper | Education | E-ISSN No : 2454-9916 | Volume : 9 | Issue : 7 | July 2023



शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

राम किशन पाल

सहालक प्राध्यापक डॉ शिवानन्द नौटियाल राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है जिसके लिए कानपुर जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से (300) प्रशिक्षणार्थियों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया तथा आँकड़ों का संकलन करने हेतु स्वनिर्मित (50 एकांश वाली) मानवाधिकार शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, प्रमाप विचलन एवं टी परीक्षण का प्रयोग किया गया आँकड़ों के विश्लेषणोपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि शहरी एवं ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया इसी प्रकार विज्ञान एवं कला के प्रशिक्षार्थियों में भी सार्थक अन्तर पाया गया और वित्तपोषित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों में सार्थक अन्तर पाया गया जबकि आरक्षित एवं अनारक्षित प्रशिक्षणार्थियों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

KEYWORDS: शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी, मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण एवं शहरी तथा विज्ञान एवं कला वर्ग।

शोध अध्ययन की पृष्ठभूमि :

"हमारे व्यक्तिगत तथा स्थानीय हितों को बहुपक्षीय व्यवस्था में समायोजित किया जाना चाहिए ताकि मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी जा सके। क्योंकि शांतिपूर्ण मानव जीवन के लिए विधि और न्याय की सहायता आवश्यक है। यदि न्याय मानवाधिकारों के संरक्षण में असमर्थ रहता है। तो राष्ट्र भी असमर्थ हो जाता है।"

29 सितम्बर, 2003 को चंडीगढ़ में डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने रास्ट्रीय विकास के लिए न्याय और मानव अधिकार विषय पर उनके विचार

मनवाधिकार के क्षेत्र में पाठ्यक्रम को पुनर्गठित करके बुनियादी पाठ्यक्रम की शुरुवात करने और नूतन पाठ्यक्रम के रूप में नई पहल करने के लिए गम्भीर प्रयास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1985 में ही प्रारम्भ कर दिया था परन्तु इस पहल को काफी उत्तम प्रोत्साहन 1990 के दशक में मिला है। और कई विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इस पुनीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आगे आये। और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मानवाधिकार शिक्षा में मूल्यों और कर्तव्यों जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल किये जाने से इसमें कुछ परिवर्तन आये। इस परिवर्तनशील वैश्वीकरण से राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में मानवाधिकार शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके एक ओर मानव की सृजनात्मक क्षमताएं बढ़ रही होती है। वही दूसरी ओर रास्ट्रीय और अंतरास्ट्रीय स्तर पर हिंसा के रूप में नकारात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है।

मानवाधिकार शिक्षा के तीन आयाम – नैतिक, विधिक और प्रासंगिक।

- मानव समुदाय की नैतिक आधार उसकी संवेदनशीलता में निहित है 1948 में मानवाधिकार की वैश्वीक घो णा न्छव् द्वारा की गयी थी तब से अबतक प्रतिवर्ष इन अधिकारों को मानव जीवन के व्यवहरिक बनाने में कोई न कोई दस्तावेज मानक निर्धारण के लिए प्रयोग में लिए जा रहे है इस प्रकार सैकड़ों घोषणापत्रों , अभिसमयों, प्रतिज्ञापत्रों और संधियों के रूप में मनुष्यों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और उसे व्यापक बनाने में इस आयाम की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है।
- दूसरा आयाम देश के संविधान और विधिकि तंत्र द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है विधि के शासन की संस्कृति को पर्याप्त रूप से संस्थागत रूप दिया जाये ताकि निष्पक्षता और न्याय को सुनिश्चित करने में कोई अड़चन न आये। मानवाधिकार शिक्षा को कानून प्रवर्तन से जुड़े कार्मिकों को अधिक संख्या में इस प्रयास की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।
- मानवाधिकार अपने आप में ही साधन और साध्य दोनों है। प्राप्त किये जाने वाले मानव के परिप्रेक्ष्य में ये साध्य है और ये साधन इसलिए है कि मनुष्यों को अपने अधिकारों को उपयोग करने में सक्षम बनाते है। यह शैक्षणिक जाँच की विषयवस्तु होने के साथ–साथ समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य के दैनिक अनुभवों का हिस्सा भी है।

मानवाधिकार, मानव विकास और मानवाधिकार शिक्षा :

अधिकार कोई मानक ही नहीं वरन् समाज के संसाधनों के आवंटन पर नागरिकों का दावा भी है भौतिक विकास मात्र से व्यक्ति को खुशी नहीं मिल सकती जब तक कि मानव जीवन को महत्व न दिया जाये तथा मानव क्षमता को पूर्ण विकसित होने की स्थिति प्रदान न की जाये मानव समुदाय विकास का साध्य भी है और साधन भी अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उसका प्रवर्तन करना सरकार का दायित्व होता है। और उसे विकास के प्रति अधिकारोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने हेतु मानवाधिकार शिक्षा का अनुपालन करना चाहिए इससे कोई संदेह नहीं कि इसके प्रचार–प्रसार एवं उचित क्रियान्वयन किये जाने से संतुलित मानव विकास होगा अतः मानवाधिकार शिक्षा में इन सभी संघटकों को शामिल किया जायें इसी कारण से शोधार्थी ने शोध हेतु निम्न प्रकरण का चयन किया "शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना आवश्यक हो गया।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

सम्बन्धित पूर्व में हुए कुछ शोध कार्य किये गये है जिनका विवरण निम्नवत है–

- वैरवा, श्रीमती इन्दिरा (2005) ने मानवाधिकारों के प्रति पुलिस अधिकारियों व शिक्षकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि पुलिस अधिकारियों की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है लिंग भेद के आधार पर पुलिस अधिकारियों की मानवाधिकार की अभिवृत्ति में अन्तर पाया गया लिंग भेद के आधार पर शिक्षकों की मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति में अन्तर है।
- कृ णा, हरे और शास्त्री ए0के0 (2014) ने माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् एन0सी0सी0 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के अनुशासन एवं मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया और पाया कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है एन0सी0सी0 प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं पाया गया।
- पंसारी, राजू एवं सोलंकी, रेखा (2017) ने बी0एड0 व बी0एस0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति कर तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि मानवाधिकार के प्रति जानकारी समय–समय पर शिक्षकों को छात्रों को दी जानी चाहिए। प्रत्येक देश में मानवाधिकार शिक्षा को सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए शिक्षकों को जाति धर्म के आधार पर छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- गुनडोग्डू, करीम (2011) कैडिडेट टीचर्स एप्टीट्यूड कन्सर्निंग हयूमन राइटस एजुकेशन इन तुर्की ने अध्ययन किया और पाया कि मानवाधिकार वास्तविक रूप से मानवाधिकारों के सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने एवं जागरूकता का सृजन करने में घनिष्ठता से सम्बन्धित पायी गयी है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध अध्ययन की कार्यविधिः प्रस्तुत शोध कार्य के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यायदर्शः प्रस्तुत शोध हेतु सी0एस0जे0एम0वि0वि0 से सम्बद्व शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों मे से (300) प्रशिक्षणार्थियों का चयन का स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से किया गया।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणः शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित (50 एकांशो) वाली मानवाधिकार शिक्षा अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया इसमें एकांशो की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक अभिवृत्ति वाले है। प्रत्येक एकांश के लिए तीन विकल्पों (सत्य, अनिश्चित और असत्य) में विभाजित किया गया है।

सांख्यिकीय विधियाँ : प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन, मानक त्रृटि एवं 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण व्याख्या :

परिकल्पना संख्या – 01

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी प्रशिक्षणार्थियों को मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या – 01

महाविद्यालयों का क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थक स्तर
ग्रामीण	103	76.29	3.68	2.92	**
शहरी	197	77.53	3.88		सार्थक

df=पर टी मान- 0-01=259
0-05=1-97

आँकड़ों के विश्लेषणोपरांत प्राप्त टी मान (2.93) है।
जो तालिका मान (2.59) से कॉफी अधिक है अर्थात (0.01) स्तर पर अन्तर सार्थक पाया गया है। इस प्रकार परिकल्पना – शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। अतः शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शहरी प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च स्तर की पायी जाती है शहरी प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक, सजग और अपने अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क रहते है।

परिकल्पना संख्या – 02

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

तालिका संख्या – 02

प्र0महाविद्यालयों का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थक स्तर
वित्तपोषित	150	78.49	3.92	6.88	**
स्ववित्तपोषित	150	75.80	3.26		सार्थक

df=298 टी मूल्य सारणी से =0-01=2-59
0-05=1-97

उक्त तालिका विवरण से स्पष्ट है कि वित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों का माध्य व मानक विचलन स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों का माध्य व मानक विचलन से अधिक है साथ ही टी मान (6.89) सारणी मान (0.01) स्तर पर (2.59) से बहुत अधिक है जो यह निर्दि ट करता है कि जो अन्तर प्राप्त हुआ है वह संयोगवश न होकर वास्तविक अन्तर है। इस प्रकार शून्य परिकल्पना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को अस्वीकृत किया जाता है। इसका यह कारण हो सकता है कि वित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकारों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप (जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, अतिथि व्याख्यान मालाओं में उक्त प्रकरण को सम्मिलित करना, समय–2 पर संगोि ठयों, कार्यशालाओं) के आयोजन होते रहते है जिस कारण से इनकी मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक प्रतीत हो रही है।

परिकल्पना संख्या – 03

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या – 03

वर्ग	संख्या	मध्य मान	मानक विचलन	टी मान	सार्थक स्तर
विज्ञान	150	78.57	3.92	6.81	**
कला	150	75.69	3.28		सार्थक

df=298 टी मूल्य सांख्यिकीय=0-01 स्तर पर सार्थक
सारणी टी मान=2-59

सारणी संख्या प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषणोपरांत प्राप्त टी मान (6.81) प्राप्त हुआ है और सारणी से प्राप्त मान (2.59) है जो टी मान से काफी कम है इसी प्रकार यदि विज्ञान और कला वर्ग प्रशिक्षणार्थियों के मध्यमान मान क्रमशः 78.57 और 75.69 है जो यह स्पष्ट करते है। कि मध्यमानों में जो अन्तर प्राप्त हुआ है वह संयोगवश न होकर सार्थक अन्तर है अर्थात शून्य परिकल्पना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नही है। को अस्वीकार किया जाता है। कला वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति उच्च सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गई है। जिस कारण से ही यह अन्तर प्राप्त हुआ है।

परिकल्पना संख्या – 04

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या – 04

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	सार्थक स्तर
आरक्षित	143	76.92	3.72	0.88	*
अनारक्षित	157	77.35	3.88		असार्थक

df=298 पर सारणीमान=0-05 स्तर पर 1-97

उपरोक्त तालिका विवेचन से प्राप्त टी मान (0.88) प्राप्त है जो सारणीमान 0.05 स्तर के (1.97) से बहुत कम है जो यह निद्रिष्ट करता है कि दोनों वर्ग (आरक्षित और अनारक्षित) मध्यमानों में अन्तर प्राप्त हुआ है वह त्रुटिवश या किसी संयोग के कारण आया होगा अर्थात शून्य परिकल्पना– शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया जाता है। अर्थात आरक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों और अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति में कोई अन्तर नहीं है दोनों ही वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति समान रूप से सकारात्मक होने की सम्भावना प्रतीत होती है।

निष्कर्ष : आँकड़ों के संकलन, सारणीयन, विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या के आधार पर शोध अध्ययन के निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये गए जो अग्रलिखित है–

- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् ग्रामीण एवं शहरी प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया। इसका आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति
- अभिवृत्ति की अपेक्षा शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अधिक सकारात्मक पायी गई है।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक अन्तर पाया गया। जिसका तात्पर्य यह है कि वित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा अति उच्च सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गई है।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् कला एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सकारात्मक अन्तर पाया गया। विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों में कला वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा अति उच्च स्तर की सकारात्मक अभिवृत्ति पायी गई।
- शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों की मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अर्थात आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों मानवाधिकार शिक्षा के प्रति समान अभिवृत्ति पायी गई।

शैक्षिक निहितार्थ : प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों (च्तम मतअपबम जमंबीमत) को मानवाधिकार शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानने और उनमें सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु उचित दिशा प्रदान करने का प्रयास किया गया है क्योंकि ये भावी पीढ़ी

को शिक्षा प्रदान करने का कार्य इनके कन्धों पर होगा। जैसा कि हम सब को विदित है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और मानवाधिकारों के प्रति समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में भावी शिक्षकों की अहम भूमिका होगी। जो कि मानवाधिकार शिक्षा द्वारा सम्भव बनाया जा सकता है। जिससे भावी समय में विश्व, देश, समाज, समुदाय और परिवार अपनी प्रगति करके सन्तुलित एवं उत्तम नागरिकों का निर्माण कर सके शोधकर्ता का यह मानना है कि मानवाधिकारों में प्रति सजग, जागरूक एवं सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने वर्तमान शोधकार्य मील का पत्थर साबित होगा ऐसी आशा की जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फडिया, बी0एल0 (2008): मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. कपिल, एच0के0 (2012): सांख्यिकी के मूल तत्व (सामाजिक विज्ञानों में) विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
3. कृ णा, हरे एवं शास्त्री, श्रवण कुमार (2014): माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् एन0सी0सी0 प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के अनुशासन एवं मानवाधिकार के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन पेरियोडिक vol-III इसु.I अगस्त–2014।
4. पालीवाल,एन0 (2010) माध्यमिक विद्यालयों में मानवाधिकार शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, नई शिक्षा रास्ट्रीय यौगिक मासिक पत्रिका, जयपुर वर्ष (60) दिनांक 2010 पृष्ठ सं0 21–14
5. पाण्डेय, रामशकल (2017): भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
6. शर्मा, आर0 ए0 (2010): शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया आर0लाल बंक डिप्पो मेरठ।
7. डब्लू डब्लू डब्लू यू0जी0सी0: मानवाधिकार शिक्षा के लिए ग्यारहवीं योजना का दिशा निर्देश।
8. डब्लू डब्लू डब्लू एन0एच0आर0सी0 वार्षिक रिपोर्ट (2002–03)।